

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(37)अप्रमुवस/एमएण्डई/2020-21/2803

दिनांक : 02-09-2020

परिपत्र


प्रायः देखा गया है कि वृक्षारोपण स्थलों का चयन करते समय ऐसे वृक्षारोपण स्थलों का चयन कर लिया जाता है जो कि बहुत पुराने नहीं हैं अथवा जिनमें गत दस वर्षों अथवा उससे कम वर्षों में वृक्षारोपण कार्य हुआ है। जबकि नए कार्यस्थल का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त स्थल पर गत दस वर्षों में विभागीय योजना में किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण/संधारण कार्य नहीं किया गया है।

यदि किसी प्रस्तावित कार्यस्थल पर गत दस वर्षों में किसी भी प्रकार का किसी भी योजना में वृक्षारोपण कार्य किया गया है तथा उक्त कार्यस्थल पर प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त स्थल वृक्षविहीन है तथा सफल वृक्षारोपण किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्यस्थल को निम्न शर्तों की पालना करते हुए पुनः वृक्षारोपण हेतु चयन किया जा सकता है।


कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षक संयुक्त रूप से उक्त स्थल का मौका निरीक्षण करने उपरांत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह उल्लेखित करेंगे कि गत 10 वर्षों से उक्त स्थल पर किसी भी विभागीय योजना में वृक्षारोपण कार्य नहीं करवाया गया है साथ ही यह भी वर्णन करेंगे कि उक्त कार्य स्थल वर्तमान में वृक्षविहीन है तथा वर्तमान में इस कार्यस्थल को पुनः वृक्षारोपण हेतु चयन किया जा सकता है एवं गत 5 वर्षों में इस कार्यस्थल पर कोई भी वृक्षारोपण संधारण का बजट किसी भी विभागीय योजना में आवंटित नहीं किया गया है।

इस रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र हेतु विशेष रूप से पूर्व में किये गये वृक्षारोपण के असफल होने के कारणों (जैविक/प्राकृतिक) का भी विस्तृत उल्लेख किया जावे साथ ही यह भी उल्लेख किया जावे कि पूर्व में वृक्षारोपण असफल होने के कारक अब विद्यमान नहीं हैं तथा अब वृक्षारोपण सफल होने की पूर्ण संभावना है।

उपरोक्तानुसार रिपोर्ट संबंधित उप वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। तत्पश्चात उप वन संरक्षक संबंधित सहायक वन संरक्षक से कार्यस्थल की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सहमति के साथ संभागीय मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित कर उनसे अनुमोदन प्राप्त करने उपरांत साईट को पुनः वृक्षारोपण हेतु चयनित कर सकेंगे।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है।


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रबोधन एवं मूल्यांकन
राजस्थान, जयपुर।